<u>परिपत्र संख्याः 01/2022</u>

कार्यालय पुलिस महानिदेशक, सतर्कता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्तिभवन, लखनऊ।
पत्र संख्याः पाकालि–प–69/2013–22 दिनांकः अप्रैल 18, 2022

<u>आदेश</u>

विषयः–विद्युत चोरी के प्रकरणों में समयबद्ध 24 घंटे के अन्दर प्राथमिकी दर्ज करने के सम्बन्ध में ।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत चोरी के प्रकरणों में 24 घंटे के अन्दर एफ0आई0आर0 दर्ज न कराये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न मामलों को संज्ञान में लेकर कड़ा रूख अपनाया गया है एवं दोषी कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही कर कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में मा0 विद्युत नियामक आयोग को सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया है ।

इस कम में अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 शक्तिभवन लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या:70–ज0श0प्र0सू0 एवं प्रशि0–01/पाकालि/2022–29–प्र0सु0/2001 दिनांक 08–02–2022 के माध्यम से वितरण संगठन के कार्यकलापों के सुचारू रूप से कार्य सम्पादन एवं संचालन हेतु विभिन्न स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मुख्य उत्तरदायित्व, पर्यवेक्षणीय उत्तरदायित्व एवं प्रशासकीय उत्तरदायित्व का निर्धारण करने हेतु तथा सभी प्रविष्टियों को अनिवार्य रूप से आर0एम0एस0 पोर्टल में एक सप्ताह में अंकित करने हेतु निर्देशित किया गया है ।

उपरोक्त वर्णित निर्देशों के कम में यह संसूचित किया जाता है कि एफ0आई0आर0 दर्ज कराये जाने के मुख्य उत्तरदायित्व, पर्यवेक्षणीय उत्तरदायित्व एवं प्रशासकीय उत्तरदायित्व का निम्नानुसार निर्धारण करने की प्रकिया अपनाई जायेगी :–

क0 सं0	एफ0आई0आर0 दर्ज कराये जाने की स्थिति	मुख्य उत्तरदायित्व,	पर्यवेक्षणीय उत्तरदायित्व	प्रशासकीय उत्तरदायित्व
1	जिन प्रकरणों में सम्बन्धित विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थानो (APTPS) में 24 घंटे से पहले तहरीर दिये जाने के बावजूद प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) समय से दर्ज नहीं है ।	विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थानों के प्रभारी	पुलिस उपाधीक्षक (सतर्कता) परिक्षेत्रीय	अपर पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम

क0 सं0	एफ0आई0आर0 दर्ज कराये जाने की स्थिति	मुख्य उत्तरदायित्व,	पर्यवेक्षणीय उत्तरदायित्व	प्रशासकीय उत्तरदायित्व
2	जिन प्रकरणों में 24 घंण्टे के अन्दर तहरीर न देने के कारण 24 घंटे से अधिक समय के पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज है ।			
	(1) सतर्कता स्कन्ध की रेड टीम द्वारा	रेड टीम के प्रभारी	(1)पुलिस उपाधीक्षक (सतर्कता) परिक्षेत्रीय	(1) अपर पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम
	(2) विभागीय एवं सतर्कता स्कन्ध की संयुक्त रेड टीम द्वारा	रेड टीम के प्रभारी	(2) पुलिस उपाधीक्षक (सतर्कता) परिक्षेत्रीय (यदि रेड टीम के प्रभारी सतर्कता स्कन्ध के पुलिस अधिकारी हैं)	(2) अपर पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम (यदि रेड टीम के प्रभारी सतर्कता स्कन्ध के पुलिस अधिकारी हैं)
3	यदि विद्युत चोरी के किन्हीं प्रकरणों में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज नहीं कराई गई है ।			
	(1) सतर्कता स्कन्ध की रेड टीम द्वारा	रेड टीम के प्रभारी	(1) पुलिस उपाधीक्षक (सतर्कता) परिक्षेत्रीय	(1) अपर पुलिस अधीक्षक (सतर्कता)
	(2) विभागीय एवं सतर्कता स्कन्ध की संयुक्त रेड टीम द्वारा	रेड टीम के प्रभारी	(2) पुलिस उपाधीक्षक (सतर्कता) परिक्षेत्रीय (यदि रेड टीम के प्रभारी सतर्कता स्कन्ध के पुलिस अधिकारी हैं)	(2) अपर पुलिस अधीक्षक(सतर्कता) सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम (यदि रेड टीम के प्रभारी सतर्कता स्कन्ध के पुलिस अधिकारी हैं)

एतद्द्वारा सभी सम्बन्धित (प्रभारी एंटी पावर थेफ्ट पुलिस थाना, प्रभारी पुलिस प्रवर्तन दल, पुलिस उपाधीक्षक (सतर्कता)परिक्षेत्रीय एवं अपर पुलिस अधीक्षक,वि0वि0नि0लि0) को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार अंकित निर्देशों का अक्षरशः कड़ाई से अनुपालन करें । इसमें किसी प्रकार की लापरवाही एवं अवहेलना न बरती जाय ।

18/04/22

(एस0एन0 साबत)
पुलिस महानिदेशक (सतर्कता)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्तिभवन, लखनऊ।

प्रतिलिपिः अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 शक्तिभवन लखनऊ को उनके उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप संख्याः 70–ज0श0 प्र0सू0 एवं प्रशि0–01/पाकालि/2022–29–प्र0सु0/2001 दिनांक 08–02–2022 एवं दिनांक 05–03–2022 के सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषित है ।

प्रतिलिपि समस्त प्रभारी एंटी पावर थेप्ट पुलिस थाना/प्रवर्तन दल उ0प्र0 को उपरोक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु प्रेषित है ।

प्रतिलिपिः समस्त पुलिस उपाधीक्षक, (सतर्कता) परिक्षेत्र को उपरोक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित है ।

प्रतिलिपिः समस्त अपर पुलिस अधीक्षक,विद्युत वितरण निगम लि0 को उपरोक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित है ।

प्रतिलिपिः पुलिस अधीक्षकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 शक्तिभवन लखनऊ को उपरोक्त आदेश के कड़ाई से अनुपालन की कार्यवाही का अनुश्रवण करने हेतु प्रेषित है ।

प्रतिलिपिः पुलिस उप महानिरीक्षक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 शक्तिभवन लखनऊ को उपरोक्त आदेश के कड़ाई से अनुपालन की कार्यवाही का अनुश्रवण करने हेतु प्रेषित है ।

18/4/22

D.G.,U.P.P.C.L.